

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 25
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ /2023 दि0::लखनऊ::दि0::अप्रैल ,2023

-:: आदेश ::-

मुख्यालय के आदेश संख्या-563/2023 दिनांक 24.04.2023 द्वारा पीठ-1 व 2, गाजियाबाद में लम्बित युगल पीठ के वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 22.05.2023 से 26.05.2023 तक सदस्य पीठ-1, मेरठ एवं सदस्य पीठ-4, वाराणसी की युगल पीठ गठित की गयी है।

सदस्य पीठ-4, वाराणसी ने अपने पत्र संख्या-85/2023 दिनांक 25.04.2023 द्वारा सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक 15.05.2023 से 27.05.2023 तक उपार्जित अवकाश आवेदित किया गया है, जिस कारण गाजियाबाद में उक्त गठित युगल पीठ से उन्हें मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उपरोक्त सम्यक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 22.05.2023 से 26.05.2023 तक गाजियाबाद पीठ में गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है।

मुख्यालय के आदेश संख्या-563/2023 दिनांक 24.04.2023 की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

ह0/25.04.2023

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 564 /2023. तददिनांक::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 व 2, गाजियाबाद।
- 2- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, मेरठ।
- 3- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4, वाराणसी को उनके पत्र संख्या-85/2023 दिनांक 25.04.2023 के अनुक्रम में।
- 4- प्रधान सहायक/व0सहा(या0भ0)/विवरण/कम्प्यूटर, मुख्यालय।
- 5- सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

प्र0 निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।